

दैनिक समसामयिकी विश्लेषण

समय: 45 मिनट

दिनांक: 02-08-2025

विषय सूची

- » 13वीं भारत-UAE संयुक्त रक्षा सहयोग समिति (JDCC) बैठक
- » भारत में राज्यों का भाषाई पुनर्गठन
- » हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) में भारत का रणनीतिक फोकस
- » मानव मस्तिष्क में माइक्रोप्लास्टिक की खोज
- » जिम्बाब्वे में रामसर COP15 का समापन

संक्षिप्त समाचार

- » आर्य समाज विवाह
- » प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम
- » सिक्किम, सरकारी कर्मचारियों के लिए विश्राम अवकाश योजना शुरू करने वाला प्रथम राज्य
- » इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (IPPB)
- » ब्लूबर्ड संचार उपग्रह
- » PSLV-C61/EOS-09 मिशन
- » मानव द्वारा बाह्य ग्रह अन्वेषण(HOPE)
- » राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार
- » पातालपानी-कालाकुंड लाइन

13वीं भारत-UAE संयुक्त रक्षा सहयोग समिति (JDCC) बैठक

संदर्भ

- भारत और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) ने नई दिल्ली में आयोजित 13वीं भारत-UAE संयुक्त रक्षा सहयोग समिति (JDCC) बैठक के दौरान द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को सुदृढ़ करने की प्रतिबद्धता दोहराई।

13वीं JDCC बैठक के प्रमुख निष्कर्ष

- **संयुक्त निर्माण:** भारत और UAE ने संयुक्त निर्माण पहलों को आगे बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की, जैसे कि ICOMM (भारत) और CARACAL (UAE) के बीच छोटे हथियारों के उत्पादन में सहयोग का मॉडल।
- **प्रौद्योगिकी सह-विकास:** कृत्रिम बुद्धिमत्ता, स्वायत्तता और साइबर सुरक्षा जैसे उभरते क्षेत्रों में आगामी पीढ़ी की तकनीकों के सह-विकास पर चर्चा हुई।
- **समझौता ज्ञापन (MoU):** भारतीय तटरक्षक बल और UAE नेशनल गार्ड के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए ताकि निम्नलिखित क्षेत्रों में सहयोग को गहरा किया जा सके:
 - खोज और बचाव अभियान
 - समुद्री डकैती विरोधी मिशन
 - प्रदूषण नियंत्रण प्रतिक्रिया
 - समुद्री स्थिति की जागरूकता

रक्षा सहयोग का महत्व

- **क्षेत्रीय संघर्षों का संतुलन:** पश्चिम एशिया में भारत का संतुलित दृष्टिकोण उसे एक स्थिरता लाने वाले, गैर-प्रभुत्ववादी साझेदार के रूप में प्रस्तुत करता है, जो क्षेत्रीय विश्वास को बढ़ाता है।
- **समुद्री सुरक्षा:** होरमुज जलडमरूमध्य के पास UAE की रणनीतिक स्थिति भारत की अरब सागर में नौसैनिक उपस्थिति को पूरक बनाती है और संयुक्त समुद्री सुरक्षा को सुदृढ़ करती है।
 - समुद्री मार्गों की सुरक्षा, व्यापार मार्गों की रक्षा और समुद्री डकैती विरोधी उपायों को सुदृढ़ करते हैं।

- **भारत की रक्षा निर्यात और उत्पादन क्षमताओं को बढ़ावा:** इस प्रकार की साझेदारियों से भारत को 2025 तक ₹35,000 करोड़ के रक्षा निर्यात लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता मिलती है।

भारत और UAE संबंध

- **राजनीतिक:** भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने 1972 में राजनयिक संबंध स्थापित किए।
- **बहुपक्षीय सहयोग:** भारत और UAE कई बहुपक्षीय मंचों का हिस्सा हैं जैसे I2U2 (भारत-इजराइल-UAE-अमेरिका) और UFI (UAE-फ्रांस-भारत) त्रिपक्षीय सहयोग।
 - UAE को G-20 शिखर सम्मेलन में अतिथि देश के रूप में आमंत्रित किया गया था।
- **आर्थिक और वाणिज्यिक:** 2022 में व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता (CEPA) पर हस्ताक्षर किए गए।
 - इस समझौते के बाद द्विपक्षीय व्यापार लगभग दोगुना होकर FY 2020-21 के USD 43.3 बिलियन से FY 2023-24 में USD 83.7 बिलियन हो गया।
 - UAE भारत का दूसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य है (अमेरिका के बाद), जिसमें 2022-23 में लगभग USD 31.61 बिलियन का निर्यात हुआ।
 - 2024 में द्विपक्षीय निवेश संधि (BIT) पर हस्ताक्षर किए गए, जो निवेशकों को सुरक्षा प्रदान कर द्विपक्षीय निवेश को प्रोत्साहित करती है।
- **रक्षा सहयोग:** यह सहयोग मंत्रालय स्तर पर संयुक्त रक्षा सहयोग समिति (JDCC) द्वारा संचालित होता है।
 - 2003 में रक्षा सहयोग पर समझौते पर हस्ताक्षर हुए, जो 2004 में प्रभाव में आया।
 - “डेजर्ट साइक्लोन” सैन्य अभ्यास 2024 ने सैन्य सहयोग में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि दर्ज की।
- **अंतरिक्ष सहयोग:** भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) और UAE अंतरिक्ष एजेंसी ने 2016 में शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए बाह्य अंतरिक्ष के अन्वेषण और उपयोग में सहयोग हेतु MoU पर हस्ताक्षर किए।
- **भारतीय समुदाय:** UAE में लगभग 3.5 मिलियन भारतीय प्रवासी समुदाय है, जो देश की कुल जनसंख्या का लगभग 35% है।

निष्कर्ष

- भारत-UAE रक्षा साझेदारी का गहन होना एक परिपक्व रणनीतिक संबंध को दर्शाता है, जो अब केवल व्यापार और प्रवासी संबंधों तक सीमित नहीं है, बल्कि रक्षा नवाचार, क्षेत्रीय सुरक्षा एवं रणनीतिक स्वायत्तता जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को भी समाहित करता है।
- संयुक्त रक्षा प्रयास भारत के व्यापक उद्देश्य के अनुरूप हैं, जो इंडो-पैसिफिक और पश्चिम एशिया में एक नियम-आधारित, बहुध्रुवीय क्षेत्रीय व्यवस्था की स्थापना करना चाहता है।

Source: [PIB](#)

भारत में राज्यों का भाषाई पुनर्गठन

संदर्भ

- हाल ही में तमिलनाडु के राज्यपाल ने भारत में राज्यों के भाषाई आधार पर विभाजन की आलोचना की, इसे “द्वितीय श्रेणी के नागरिकों” के निर्माण का एक कारण बताया।

पृष्ठभूमि

- 1947 में स्वतंत्रता के समय भारत ने उपनिवेशवादी प्रशासनिक आवश्यकताओं से निर्मित प्रांतों और रियासतों का एक मिश्रित ढांचा विरासत में पाया। इसमें शामिल थे:
 - ▲ सीधे ब्रिटिश शासन के अधीन प्रांत
 - ▲ 565 रियासतें जो अप्रत्यक्ष नियंत्रण में थीं
- 26 जनवरी 1950 को लागू हुए संविधान ने भारत को “राज्यों का संघ” घोषित किया। उस समय देश को चार श्रेणियों में विभाजित 28 राज्यों में बांटा गया था:
 - ▲ **भाग A राज्य** (ब्रिटिश भारत के गवर्नर प्रांत): असम, बिहार, बॉम्बे, पूर्वी पंजाब, मध्य प्रदेश, मद्रास, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल।
 - ▲ **भाग B राज्य** (पूर्व रियासतें या रियासतों का समूह): हैदराबाद, जम्मू और कश्मीर, मध्य भारत, मैसूर, पटियाला एवं पूर्वी पंजाब राज्य संघ (PEPSU), राजस्थान, सौराष्ट्र और त्रावणकोर-कोचीन।

- ▲ **भाग C राज्य** (पूर्व मुख्य आयुक्तों के प्रांत और कुछ रियासतें): अजमेर, भोपाल, बिलासपुर, कूर्ग राज्य, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, कच्छ, मणिपुर, त्रिपुरा और विंध्य प्रदेश।
- ▲ **भाग D राज्य**: अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, जिसे राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त लेफ्टिनेंट गवर्नर द्वारा शासित किया गया।
- स्वतंत्रता के पश्चात्, लोगों को संभावना थी कि नया लोकतांत्रिक शासन भाषाई आकांक्षाओं को सम्मान देगा और उन्हें शासन में प्रतिबिंबित करेगा।

बाद के चरणों में विकास

- **जेपीवी समिति (1948-1949)**: भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने दिसंबर 1948 में भाषाई प्रांतों पर विचार हेतु एक समिति गठित की, जिसमें जवाहरलाल नेहरू, वल्लभभाई पटेल और पट्टाभि सीतारमैया शामिल थे।
 - ▲ **निष्कर्ष**: समिति ने भाषा को पुनर्गठन का आधार मानने से मना किया और भाषाई विभाजन से राष्ट्रीय विघटन के खतरे पर बल दिया।
- **आंध्र राज्य का निर्माण**: तेलुगु भाषी राज्य की मांग को लेकर पोडु श्रीरामुलु ने 56 दिन का अनशन किया, जिसकी मृत्यु 1952 में हो गई।
 - ▲ इसके बाद सरकार ने अक्टूबर 1953 में मद्रास राज्य से तेलुगु भाषी क्षेत्रों को अलग कर आंध्र राज्य का गठन किया — भारत का प्रथम भाषाई राज्य।

राज्य पुनर्गठन आयोग (SRC), 1953:

- ▲ भारत सरकार ने दिसंबर 1953 में तीन सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया, जिसमें अध्यक्ष फ़ज़ल अली और अन्य सदस्य के.एम. पणिक्कर तथा एच.एन. कुंजूरु थे।
- ▲ आयोग ने भाषा को एक वैध मानदंड के रूप में स्वीकार किया, लेकिन “एक भाषा-एक राज्य” की अवधारणा को खारिज कर दिया।

राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956

- इस अधिनियम ने राज्यों की A, B, C और D श्रेणियों को समाप्त कर एकीकृत प्रणाली के अंतर्गत 14 राज्य और 6 केंद्रशासित प्रदेश बनाए।

- इसने केरल, कर्नाटक जैसे राज्यों का गठन किया और भाषाई बहुलता के आधार पर क्षेत्रों का विलय कर वर्तमान राज्यों का विस्तार किया।
- बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम (1960) ने महाराष्ट्र और गुजरात का निर्माण किया।
- इसके बाद अन्य पुनर्गठन हुए: पंजाब (1966), पूर्वोत्तर राज्य (1963–1987), छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड (2000), और तेलंगाना (2014)।


ON JANUARY 26, 1950

States: ■ Part A ■ Part B ■ Part C



AFTER 1956 REORGANISATION

States ■ Union Territories ■



भाषाई पुनर्गठन का प्रभाव और सफलता

- विविधता में एकता का संरक्षण: विघटन की आशंकाओं के विपरीत, भाषाई राज्यों ने राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ किया।
 - भाषाई बहुलता ने अलगाववादी प्रवृत्तियों को नियंत्रित किया, जबकि पाकिस्तान और श्रीलंका में भाषा थोपने से संघर्ष उत्पन्न हुआ।
- शासन में सुधार: छोटे और प्रायः अधिक समरूप राज्यों के निर्माण से शासन को जनता के करीब लाने और प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने का प्रयास किया गया।
- क्षेत्रीय पहचान का संवर्धन: विभिन्न समुदायों की विशिष्ट भाषाई और सांस्कृतिक पहचान को मान्यता एवं प्रोत्साहन मिला, जिससे सांस्कृतिक गर्व एवं एकीकरण को बढ़ावा मिला।
- द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (2008) ने यह उल्लेख किया कि नागालैंड, पंजाब, कश्मीर जैसे प्रमुख अलगाववादी आंदोलनों की जड़ भाषा नहीं बल्कि जातीयता, धर्म और क्षेत्रीयता थी।

आगे की राह

- क्षेत्रीय आकांक्षाओं को संबोधित करने के लिए सहकारी संघवाद को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है, ताकि विभाजनकारी प्रवृत्तियों को बढ़ावा न मिले।
- राज्य की सीमाओं, शासन संबंधी चुनौतियों और अंतर-राज्यीय समानता का नियमित मूल्यांकन संस्थागत तंत्रों के माध्यम से किया जाना चाहिए, राष्ट्रीय एकता से समझौता किए बिना।

Source: [IE](#)

हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) में भारत का रणनीतिक फोकस

संदर्भ

- लोकसभा में एक लिखित उत्तर में विदेश राज्य मंत्री ने भारतीय महासागर क्षेत्र (IOR) के देशों के साथ भारत की सुदृढ़ता और व्यापक साझेदारी की पुनः पुष्टि की।

परिचय

- पड़ोसी प्रथम नीति और MAHASAGAR (सभी क्षेत्रों में सुरक्षा और विकास के लिए पारस्परिक और समग्र उन्नति) की महत्ता को रेखांकित करते हुए मंत्री ने यह दोहराया कि श्रीलंका, मालदीव और मॉरीशस भारत की समुद्री कूटनीति में केंद्रीय भूमिका निभाते हैं।

भारतीय महासागर क्षेत्र (IOR) का महत्व

- ऊर्जा सुरक्षा: भारत के 80% कच्चे तेल आयात और 95% व्यापार (मात्रा के अनुसार) का प्रवाह भारतीय महासागर से होता है।
- व्यापार और आर्थिक जीवनरेखा: होरमुज जलडमरूमध्य, मलक्का जलडमरूमध्य और बाब अल-मंदेब जैसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग IOR से होकर गुजरते हैं, जो वैश्विक और क्षेत्रीय व्यापार को सुगम बनाते हैं।
- भू-राजनीतिक प्रभाव: IOR में भारत की केंद्रीय स्थिति उसे प्रमुख समुद्री चोक पॉइंट्स पर प्रभाव देती है, जिससे क्षेत्रीय शक्ति के रूप में भारत की भूमिका सुदृढ़ होती है।

- **आपदा और पर्यावरणीय लचीलापन:** भारत के 11,000 किमी लंबे तटवर्ती क्षेत्र को चक्रवातों, समुद्र स्तर में वृद्धि और जलवायु प्रभावों से खतरा है; आपदा राहत (CDRI, मानवीय मिशन) और समुद्री विज्ञान में नेतृत्व आवश्यक है।

चुनौतियाँ

- **चीन की बढ़ती उपस्थिति:** चीन के बंदरगाह निवेश एवं नौसैनिक उपस्थिति (ग्वादर, हंबनटोटा, जिबूती) भारत को घेरते हैं और रणनीतिक प्रतिस्पर्धा को बढ़ाते हैं।
- **समुद्री सुरक्षा खतरे:** समुद्री डकैती, आतंकवाद, तस्करी एवं हालिया साइबर हमले समुद्री ढांचे और व्यापार को खतरे में डालते हैं।
- **पर्यावरणीय क्षरण:** अत्यधिक मछली पकड़ना, समुद्री प्रदूषण और समुद्र स्तर में वृद्धि तटीय समुदायों एवं समुद्री जैव विविधता को खतरे में डालते हैं।
- **बुनियादी ढांचे की कमी:** भारतीय बंदरगाह/जहाज निर्माण क्षमताओं, निगरानी तकनीकों और लॉजिस्टिक्स नेटवर्क में अभी भी अंतर बना हुआ है।
- **क्षेत्रीय अस्थिरता:** IOR देशों में अस्थिर राजनीतिक वातावरण और बाहरी शक्तियों की प्रतिस्पर्धा स्थिति को जटिल बनाती है।

भारत द्वारा उठाए गए कदम

- **रक्षा और नौसेना विस्तार:** विमान वाहक पोत (INS विक्रान्त), स्वदेशी पनडुब्बियों और विस्तारित नौसैनिक बेड़े की तैनाती।
- **मिशन आधारित तैनाती:** मलक्का जलडमरूमध्य, बाब अल-मंदेब, अदन आदि प्रमुख चोक पॉइंट्स पर स्थायी उपस्थिति।
- **क्षेत्रीय साझेदारी को सुदृढ़ करना:** IORA, BIMSTEC, QUAD के माध्यम से संबंधों को गहरा करना; सेशेल्स, मॉरीशस और मालदीव के साथ सहयोग बढ़ाना।
- **बंदरगाह और बुनियादी ढांचे का विस्तार:** चाबहार (ईरान), सितवे (म्यांमार), साबांग (इंडोनेशिया) का विकास और घरेलू बंदरगाहों का आधुनिकीकरण (सागरमाला)।

- **ब्लू इकोनॉमी और विज्ञान मिशन:** डीप ओशन मिशन, समुद्री जैव प्रौद्योगिकी, सतत मछली पकड़ने की प्रथाएं, तटीय जलवायु अनुकूलन और बंदरगाहों में डिजिटल ट्विन तकनीक।
- **सूचना साझाकरण:** IFC-IOR और नेटवर्क आधारित समुद्री जागरूकता से बेहतर जोखिम प्रतिक्रिया और शासन।

आगे की राह

- **नौसेना और निगरानी क्षमता का विस्तार:** आगामी पीढ़ी के युद्धपोतों, समुद्र के नीचे निगरानी और साइबर-लचीले सिस्टम में निवेश।
- **क्षेत्रीय कूटनीति को सुदृढ़ करना:** द्विपक्षीय और बहुपक्षीय संबंधों को सुदृढ़ करना, संयुक्त नौसैनिक अभ्यासों (MALABAR, MILAN आदि) को बढ़ाना, और भारत को एक विश्वसनीय क्षेत्रीय साझेदार के रूप में स्थापित करना।
- **सतत ब्लू इकोनॉमी:** सतत जलीय कृषि, महासागर ऊर्जा और जलवायु अनुकूल बुनियादी ढांचे में नेतृत्व करना।
- **बुनियादी ढांचा और तकनीकी छलांग:** बंदरगाह और लॉजिस्टिक्स अपग्रेड को तेज करना, समुद्री डेटा/AI/अंतरिक्ष आधारित निगरानी में निवेश।
- **समावेशी समुद्री नीति:** तटीय समुदायों को शामिल करना, क्षेत्रीय समृद्धि को बढ़ावा देना और छोटे IOR देशों का समर्थन करना।
- **संतुलित भू-रणनीतिक दृष्टिकोण:** कठोर शक्ति प्रदर्शन को सॉफ्ट पावर—सांस्कृतिक कूटनीति, आपदा सहायता और विकासात्मक साझेदारी—के साथ संतुलित करना।

Source: AIR


मानव मस्तिष्क में माइक्रोप्लास्टिक की खोज

संदर्भ

- हाल ही में वैज्ञानिक अध्ययनों में मानव मस्तिष्क में माइक्रोप्लास्टिक पाए गए हैं, जिससे संभावित स्वास्थ्य जोखिमों को लेकर चिंता बढ़ गई है और एक वैश्विक प्लास्टिक संधि की आवश्यकता पर बल दिया गया है।

प्लास्टिक और माइक्रोप्लास्टिक क्या हैं?

- **प्लास्टिक** शब्द यूनानी शब्द प्लास्टिकोस से लिया गया है, जिसका अर्थ है “आकार देने योग्य” या “ढाला जा सकने वाला”
- प्लास्टिक एक विस्तृत श्रेणी की कृत्रिम या अर्ध-कृत्रिम सामग्रियों को संदर्भित करता है, जिनमें मुख्य घटक के रूप में पॉलिमर होते हैं। इनकी प्रमुख विशेषता होती है **प्लास्टिसिटी** – अर्थात् किसी ठोस पदार्थ का बाहरी बलों के प्रभाव में स्थायी रूप से आकार बदलना।
 - ✦ यही गुण उन्हें अत्यधिक अनुकूलनीय बनाता है, जिससे इन्हें आवश्यकता अनुसार ढाला जा सकता है।
- प्लास्टिक के मूल निर्माण खंड होते हैं **मोनोमर**, जो छोटे अणु होते हैं और **पॉलिमराइजेशन** की प्रक्रिया के माध्यम से लंबी श्रृंखलाएं (पॉलिमर) बनाते हैं।
- **माइक्रोप्लास्टिक**: प्लास्टिक टूटकर छोटे-छोटे टुकड़ों में बदल जाता है जिन्हें माइक्रोप्लास्टिक कहा जाता है – इन्हें आधिकारिक रूप से ऐसे प्लास्टिक के रूप में परिभाषित किया गया है जिनका व्यास पाँच मिलीमीटर से कम होता है।
- **माइक्रोप्लास्टिक के प्रकार**:
 - ✦ **प्राथमिक**: जानबूझकर छोटे आकार में बनाए जाते हैं (जैसे सौंदर्य प्रसाधनों में माइक्रोबीड्स)।
 - ✦ **द्वितीयक**: बड़े प्लास्टिक उत्पादों के टूटने से उत्पन्न होते हैं (जैसे बोतलें, थैलियाँ)।



प्लास्टिक प्रदूषण का प्रभाव

- **तंत्रिका संबंधी चिंताएं**: मस्तिष्क में माइक्रोप्लास्टिक सृजन, संज्ञानात्मक विकार और न्यूरोडीजेनेरेटिव बीमारियों का कारण बन सकते हैं।
- **मृदा और जल प्रदूषण**: माइक्रोप्लास्टिक मिट्टी की उर्वरता को प्रभावित करते हैं और स्वच्छ जल तथा समुद्री पारिस्थितिक तंत्र को प्रदूषित करते हैं।
- **समुद्री जीवन के लिए खतरा**: समुद्री जीवों द्वारा माइक्रोप्लास्टिक निगलने से जैव संचयन होता है और मृत्यु तक की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।
- **प्रदूषकों का स्थानांतरण**: माइक्रोप्लास्टिक पर्यावरण से अन्य हानिकारक रसायनों को अवशोषित कर सकते हैं और इन्हें जीवों में ले जाकर विषाक्तता उत्पन्न कर सकते हैं।

वैश्विक प्लास्टिक संधि क्या है?

- यह 2022 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा के प्रस्ताव 5/14 के तहत अंतर-सरकारी वार्ता समिति(INC) द्वारा शुरू की गई थी।
- इसका उद्देश्य प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करने के लिए एक **कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतरराष्ट्रीय साधन** विकसित करना है।
- यह प्लास्टिक के पूरे जीवनचक्र को शामिल करता है –
 - ✦ **अपस्ट्रीम** (उत्पादन)
 - ✦ **मिडस्ट्रीम** (उपयोग)
 - ✦ **डाउनस्ट्रीम** (अपशिष्ट प्रबंधन)
- अंतर-सरकारी वार्ता समिति (INC-5.2) का पाँचवाँ सत्र 5-14 अगस्त 2025 को जिनेवा में आयोजित किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य वैश्विक प्लास्टिक संधि को अंतिम रूप देना है।
- संधि चर्चा का केंद्र **अनुच्छेद 6** है, जो प्लास्टिक की आपूर्ति को नियंत्रित करने पर केंद्रित है – विशेष रूप से उत्पादन, आयात और निर्यात।

Tackling Plastic Waste: India and Global Efforts



आगे की राह

- मानव मस्तिष्क में माइक्रोप्लास्टिक की पहचान यह स्पष्ट संकेत है कि प्लास्टिक प्रदूषण ने मानव स्वास्थ्य और पारिस्थितिकी तंत्र में कितनी गहराई से प्रवेश कर लिया है।
- वैश्विक प्लास्टिक संधि, विशेष रूप से अनुच्छेद 6, इस समस्या को उसकी जड़ से हल करने का एक अद्वितीय अवसर प्रदान करती है।
- संधि को प्रभावी बनाने के लिए इसमें महत्वाकांक्षी, लागू करने योग्य और वैज्ञानिक रूप से समर्थित उपायों को अपनाना आवश्यक है, ताकि प्लास्टिक उत्पादन को नियंत्रित किया जा सके और एक परिपत्र अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया जा सके — एक स्वस्थ ग्रह और जनसंख्या के लिए।

Source: [TH](#), [DTE](#)

जिम्बाब्वे में रामसर COP15 का समापन

समाचार में

- रामसर कन्वेंशन की 15वीं बैठक (COP15), जो विक्टोरिया फॉल्स, जिम्बाब्वे में आयोजित हुई, का समापन हुआ। इसमें आर्द्रभूमियों के पुनर्स्थापन, प्रवासी पक्षियों और आर्द्रभूमि प्रजातियों की सुरक्षा तथा समान शासन व्यवस्था पर नए प्रस्ताव पारित किए गए।

आर्द्रभूमियाँ क्या हैं?

- आर्द्रभूमियाँ वे क्षेत्र होते हैं जहाँ जल पर्यावरण और उससे जुड़ी वनस्पति एवं जीव-जंतुओं का प्रमुख नियंत्रक तत्व होता है। वहाँ पाई जाती हैं जहाँ जल स्तर भूमि की सतह पर या उसके निकट होता है, या जहाँ भूमि जल से ढकी होती है।

- आर्द्रभूमियाँ कई रूपों में होती हैं जैसे नदियाँ, दलदल, काई क्षेत्र, मैंग्रोव, दलदली क्षेत्र, तालाब, झीलें, बाढ़ क्षेत्र, स्वैम्प, लैगून, बिलाबोंग आदि।

- अधिकांश बड़े आर्द्रभूमि क्षेत्र विभिन्न प्रकार की स्वच्छ जल की प्रणालियों का संयोजन होते हैं।

आर्द्रभूमि पर कन्वेंशन

- यह एक अंतर-सरकारी संधि है जो आर्द्रभूमियों और उनके संसाधनों के संरक्षण एवं विवेकपूर्ण उपयोग के लिए रूपरेखा प्रदान करती है।
- इसे 1971 में ईरान के शहर रामसर में अपनाया गया और 1975 में लागू किया गया।
 - तब से अब तक संयुक्त राष्ट्र के लगभग 90% सदस्य देशों ने इसमें “संविदात्मक पक्ष” के रूप में भाग लिया है।
- भारत भी रामसर कन्वेंशन का एक संविदात्मक पक्ष है, जिसने 1 फरवरी 1982 को इस संधि पर हस्ताक्षर किए।

रामसर कन्वेंशन की 15वीं बैठक (COP15)

- जिम्बाब्वे में आयोजित रामसर COP15 सम्मेलन में लगभग 3,000 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। यह दूसरी बार था जब अफ्रीका ने इस सम्मेलन की मेज़बानी की (प्रथम बार 2005 में युगांडा में COP9)।
 - सम्मेलन का विषय था: “हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्रभूमियों की सुरक्षा”, जिसमें वैश्विक हितधारकों ने मीठे पानी की पारिस्थितिकी प्रणालियों को लेकर खतरे पर चर्चा की।
- आगामी बैठक COP16 की मेज़बानी पनामा 2028 में करेगा।
 - जिम्बाब्वे ने चीन से तीन वर्षों के लिए रामसर कन्वेंशन की अध्यक्षता संभाली।

प्रमुख निष्कर्ष

- COP15 में प्रस्तुत सभी 13 प्रस्तावों को अपनाया गया, जो वैश्विक आर्द्रभूमि संरक्षण और पुनर्स्थापन में महत्वपूर्ण प्रगति को दर्शाते हैं।

- प्रस्तावों में राष्ट्रीय कार्रवाई, निगरानी, क्षमता निर्माण, जलवायु अनुकूलन में आर्द्रभूमियों का एकीकरण और आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर ध्यान केंद्रित किया गया।
- एक प्रमुख निष्कर्ष था **विक्टोरिया फॉल्स घोषणा**, जिसमें राजनीतिक इच्छाशक्ति, संसाधन जुटाने और सतत आर्द्रभूमि प्रबंधन में निवेश पर बल दिया गया।
- इसके मुख्य बिंदुओं में शामिल हैं:
 - ▲ क्षतिग्रस्त स्वच्छ जल की पारिस्थितिकी प्रणालियों का पुनर्स्थापन
 - ▲ प्रवासी पक्षियों की सुरक्षा
 - ▲ अंतरराष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमियों के लिए स्पष्ट मानदंड अपनाना
- एक नई रणनीतिक योजना को मंजूरी दी गई जिसमें 4 लक्ष्य और 18 उद्देश्य सम्मिलित हैं, हालांकि दीर्घकालिक वित्तपोषण में कोई बड़ी सफलता नहीं मिली।
- मुख्य बजट को 4.1% बढ़ाकर 2025–2027 के लिए CHF 15.5 मिलियन किया गया।
 - ▲ अतिरिक्त प्रस्तावों में समान शासन व्यवस्था, शहरी आर्द्रभूमियाँ, पारंपरिक ज्ञान और युवाओं की भागीदारी को शामिल किया गया।

भारत की भूमिका

- विक्टोरिया फॉल्स, जिम्बाब्वे में आयोजित रामसर COP15 में भारत ने सफलतापूर्वक एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया और पारित कराया जिसका शीर्षक था: **‘आर्द्रभूमियों के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए सतत जीवनशैली को बढ़ावा देना’**।
- यह प्रस्ताव 172 रामसर संविदात्मक पक्षों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों द्वारा व्यापक रूप से समर्थित था।
- यह प्रस्ताव व्यक्तिगत और सामाजिक विकल्पों की भूमिका को आर्द्रभूमि संरक्षण में महत्वपूर्ण मानता है और **‘समाज-व्यापी दृष्टिकोण’** को बढ़ावा देता है।

महत्त्व

- आर्द्रभूमियाँ पृथ्वी के सबसे उत्पादक एवं मूल्यवान पारिस्थितिकी तंत्रों में से एक हैं, जो समृद्ध जैव विविधता का समर्थन करती हैं तथा जल आपूर्ति, खाद्य उत्पादन, बाढ़ नियंत्रण और जलवायु विनियमन जैसी आवश्यक सेवाएँ प्रदान करती हैं।
- ये कई प्रजातियों के अस्तित्व के लिए आवश्यक हैं तथा मत्स्य पालन, कृषि, लकड़ी, ऊर्जा और पर्यटन के माध्यम से प्रमुख आर्थिक लाभ प्रदान करती हैं।
- साथ ही, ये कई समुदायों के लिए गहरी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्ता रखती हैं।

खतरे

- आर्द्रभूमियाँ प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, बांधों, कृषि और जलीय कृषि तथा विकास से खतरे में हैं।
- इनके महत्व के बावजूद, आर्द्रभूमियाँ जल निकासी, प्रदूषण, अत्यधिक उपयोग और भूमि रूपांतरण के कारण गंभीर संकट में हैं।
- वैश्विक मीठे पानी की मांग में भारी वृद्धि हुई है, जिससे कई क्षेत्रों में जल संकट उत्पन्न हुआ है, जिसे जलवायु परिवर्तन और भी गंभीर बना रहा है।

भारत में आर्द्रभूमियाँ

- जून 2025 में भारत के दो अन्य आर्द्रभूमि स्थलों को रामसर स्थलों की सूची में शामिल किया गया, जिससे देश में ऐसे स्थलों की संख्या बढ़कर **91** हो गई।
- नवीनतम रामसर स्थल हैं:
 - ▲ **खिचन (फलोदी)**
 - ▲ **मेनार (उदयपुर)** — दोनों राजस्थान में स्थित हैं।
- भारत विविध आर्द्रभूमियों का घर है, जिनमें से कई सांस्कृतिक और धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं।
- ये आर्द्रभूमियाँ विभिन्न राष्ट्रीय कानूनों के अंतर्गत संरक्षित हैं, जैसे:
 - ▲ भारतीय वन अधिनियम (1927)
 - ▲ वन (संरक्षण) अधिनियम (1980)
 - ▲ भारतीय वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम (1972)

संक्षिप्त समाचार

आर्य समाज विवाह

संदर्भ

- इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार से राज्य भर में फर्जी आर्य समाज समितियों के संचालन की जाँच करने को कहा है, जो बिना उम्र की पुष्टि किए विवाह करा रही हैं और धर्मांतरण विरोधी कानून का उल्लंघन कर रही हैं।

आर्य समाज विवाह

- आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में एक हिंदू सुधारवादी आंदोलन के रूप में की थी।
- इसने अंतर्जातीय एवं अंतर्धार्मिक विवाहों को बढ़ावा दिया और “शुद्धि” अनुष्ठान के माध्यम से धर्मांतरण की अनुमति दी।
- आर्य विवाह मान्यता अधिनियम, 1937 ने ऐसे विवाहों को कानूनी मान्यता दी, यहाँ तक कि विभिन्न जातियों या धर्मों के बीच भी, यदि दोनों पक्ष स्वयं को आर्य समाजी घोषित करते हैं।

युगल(Couple) इसे क्यों पसंद करते हैं?

- आर्य समाज विवाह त्वरित, सरल और हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 (हिंदुओं, बौद्धों, जैनियों और सिखों के लिए) के तहत कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त हैं।
 - अन्य धर्मों के लोग पहले एक त्वरित शुद्धि अनुष्ठान के माध्यम से धर्मांतरण करके विवाह कर सकते हैं।
 - विशेष विवाह अधिनियम के विपरीत, आर्य समाज विवाहों के लिए 30 दिन की सार्वजनिक सूचना की आवश्यकता नहीं होती है, जिससे जोड़ों को उत्पीड़न से बचने में सहायता मिलती है।
- यह अब विवादास्पद क्यों है: कई राज्यों (जैसे उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश) ने धर्मांतरण विरोधी कानून पारित किए हैं जिनके लिए निम्नलिखित आवश्यक हैं: धर्मांतरण से पहले और बाद की घोषणाएँ, 60 दिन का नोटिस, आधिकारिक पृष्ठताछ।

- ये नियम आर्य समाज की अनौपचारिक धर्मांतरण प्रक्रिया के साथ टकराव उत्पन्न करते हैं, जिससे ऐसे विवाह संभावित रूप से अवैध हो जाते हैं।
- न्यायालयों ने पाया है कि कुछ आर्य समाज संगठनों ने बाल विवाह किए, फर्जी दस्तावेजों का उपयोग किया, या धर्मांतरण कानूनों की अनदेखी की।
- सर्वोच्च न्यायालय और कई उच्च न्यायालयों ने इन विवाहों की वैधता पर प्रश्न उठाए हैं और जाँच के आदेश दिए हैं।

Source: IE

प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम

संदर्भ

- भारत सरकार ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम (PMNDP) की पहुँच का उल्लेखनीय विस्तार किया है। यह पहल अब सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में, 751 जिलों को कवर करते हुए, क्रियाशील है।

भारत में ESRD का भार

- अंतिम चरण की गुर्दे की बीमारी (ESRD) के लगभग 2.2 लाख नए मामलों का प्रतिवर्ष निदान किया जाता है, जिससे हर साल लगभग 3.4 करोड़ डायलिसिस सत्रों की माँग पैदा होती है। डायलिसिस की उच्च लागत गंभीर वित्तीय संकट का कारण बन सकती है, खासकर गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) रहने वाले परिवारों के लिए।

प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम (PMNDP)

- परिचय:** यह राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के अंतर्गत एक प्रमुख योजना है जो अंतिम चरण की गुर्दे की बीमारी (ESRD) से पीड़ित आर्थिक रूप से कमजोर रोगियों को मुफ्त डायलिसिस सेवाएँ प्रदान करती है।
- शुरूआत:** अप्रैल 2016, केंद्रीय बजट 2016-17 के भाग के रूप में।
- मंत्रालय:** स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय।
- उद्देश्य:** समान और किफायती डायलिसिस देखभाल प्रदान करना, गरीबी रेखा से नीचे परिवारों पर वित्तीय भार कम करना और गुर्दे की देखभाल के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना।

सेवा घटक:

- **हीमोडायलिसिस (HD):** मरीजों को HD प्रदान करने के लिए जिला अस्पतालों में डायलिसिस केंद्र स्थापित किए जाते हैं।
- **पेरिटोनियल डायलिसिस (PD):** उन लोगों के लिए PD तक पहुँच का विस्तार करना जो HD का लाभ नहीं उठा सकते।

Source: PIB

सिक्किम, सरकारी कर्मचारियों के लिए विश्राम अवकाश योजना शुरू करने वाला प्रथम राज्य

संदर्भ

- सिक्किम भारत का प्रथम राज्य बन गया है जिसने सरकारी कर्मचारियों के लिए विश्राम अवकाश योजना लागू की है।
- अगस्त 2023 में शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य रोजगार की सुरक्षा से समझौता किए बिना व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास के लिए समय प्रदान करके कार्यबल को सशक्त बनाना है।
- यह नीति नियमित राज्य सरकार के कर्मचारियों, जिन्होंने कम से कम पाँच वर्ष की निरंतर सेवा पूर्ण कर ली है, को 365 दिनों से लेकर अधिकतम 1,080 दिनों तक की छुट्टी लेने की अनुमति देती है, जबकि उनकी अनुपस्थिति के दौरान उन्हें उनके मूल वेतन का 50% प्राप्त होता है।
- यह योजना उनकी वरिष्ठता को बनाए रखती है, सेवा में निरंतरता सुनिश्चित करती है, और सरकार के पास एक महीने के नोटिस पर कर्मचारी को वापस बुलाने का अधिकार सुरक्षित है।
- अस्थायी कर्मचारी छह महीने की निरंतर सेवा के बाद, समान संरचनात्मक प्रावधानों के साथ, इसके पात्र हो जाते हैं।

योजना में हालिया सुधार

- **अनुमोदन प्राधिकरण का प्रत्यायोजन:**
 - ▲ समूह क और ख: कार्मिक विभाग के सचिव से अनुमोदन आवश्यक है।

- ▲ समूह ग और घ (अस्थायी कर्मचारियों सहित): अब विभागाध्यक्षों द्वारा छुट्टी प्रदान की जा सकती है।
- यह विकेन्द्रीकरण प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करता है और निर्णय लेने में तीव्रता लाता है।

Source: [AIR](#)**इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (IPPB)****समाचार में**

- हाल ही में, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (IPPB) ने ग्राहकों के लेन-देन के लिए देशव्यापी आधार-आधारित फेस ऑर्थेंटिकेशन सुविधा शुरू की है, जिससे सुरक्षित, समावेशी और सुलभ बैंकिंग को बढ़ावा मिलेगा—विशेषकर वृद्धों एवं दिव्यांगों के लिए।

इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (IPPB)

- यह डाक विभाग, संचार मंत्रालय के अंतर्गत स्थापित किया गया है और इसकी 100% इक्विटी भारत सरकार के स्वामित्व में है।

- IPPB की शुरुआत 1 सितंबर, 2018 को हुई थी।

अधिकार

- इसका मिशन लगभग 1.65 लाख डाकघरों और 3 लाख डाक कर्मचारियों के भारत के विशाल डाक नेटवर्क का उपयोग करके, बैंकिंग सेवाओं से वंचित तथा कम बैंकिंग सेवाओं वाले लोगों को सुलभ, सस्ती एवं विश्वसनीय बैंकिंग प्रदान करना है।
- यह इंडिया स्टैक पर आधारित है और बायोमेट्रिक-सक्षम स्मार्टफोन के माध्यम से कागज़ रहित, नकदी रहित एवं उपस्थिति-रहित बैंकिंग सेवाएँ प्रदान करता है, ग्राहकों के घर तक सेवाएँ पहुँचाता है।

प्रासंगिकता

- यह 5.57 लाख गाँवों और कस्बों के 11 करोड़ ग्राहकों को 13 भाषाओं में सेवा प्रदान करता है और डिजिटल इंडिया तथा वित्तीय समावेशन का समर्थन करता है, इस बात पर बल देता है कि प्रत्येक ग्राहक, लेनदेन एवं जमा राशि महत्वपूर्ण है।
- इसका उद्देश्य इस पहल के माध्यम से सम्मानजनक और बाधा-मुक्त बैंकिंग को बढ़ावा देना है, जो इसके मिशन “आपका बैंक, आपके द्वार” के अनुरूप है।

[PIB](#)

ब्लूबर्ड संचार उपग्रह

समाचार

- भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) आगामी तीन से चार महीनों में ब्लॉक 2 ब्लूबर्ड संचार उपग्रह प्रक्षेपित करेगा।

ब्लूबर्ड संचार उपग्रह के बारे में

- ब्लूबर्ड संचार उपग्रह अमेरिका स्थित एएसटी स्पेसमोबाइल द्वारा विकसित किया गया है।
- इसका वजन 6,500 किलोग्राम है और इसके सितंबर तक भारत पहुँचने की संभावना है।
- इसे श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसरो के सबसे शक्तिशाली प्रक्षेपक, एलवीएम3, जिसे पहले जीएसएलवी-एमके III के नाम से जाना जाता था, का उपयोग करके प्रक्षेपित किया जाएगा।

क्या आप जानते हैं?

- भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली (इनसैट) भारत की दूरसंचार, प्रसारण, मौसम विज्ञान और खोज एवं बचाव आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इसरो द्वारा प्रक्षेपित बहुउद्देशीय भू-स्थिर उपग्रहों की एक श्रृंखला है।
- 1983 में स्थापित, इनसैट एशिया-प्रशांत क्षेत्र की सबसे बड़ी घरेलू संचार प्रणाली है।
- चूँकि इसरो, कॉस्पर-सरसैट कार्यक्रम का सदस्य है, इसलिए इन उपग्रहों में दक्षिण एशियाई और हिंद महासागर क्षेत्र में खोज एवं बचाव अभियानों के लिए संकट चेतावनी संकेत प्राप्त करने हेतु ट्रांसपोंडर भी शामिल हैं।

Source :TH

PSLV-C61/EOS-09 मिशन

समाचार में

- इसरो प्रमुख वी. नारायणन ने पुष्टि की है कि मई में PSLV-C61/EOS-09 मिशन के तीसरे चरण में एक छोटी सी समस्या के कारण यह विफल हो गया।
 - सफल प्रक्षेपण के बावजूद, उपग्रह अपनी इच्छित कक्षा में स्थापित नहीं हो सका।

PSLV-C61/EOS-09 मिशन

- EOS-09 एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है जिससे सभी मौसमों में भारत की निगरानी क्षमताओं को बढ़ावा मिलने की संभावना है।
 - इस मिशन का उद्देश्य EOS-09 को सूर्य समकालिक ध्रुवीय कक्षा में स्थापित करना था।
- यह C-बैंड सिंथेटिक अपर्चर रडार से लैस है जो सभी मौसमों में 24/7 पृथ्वी की सतह की उच्च-रिज़ॉल्यूशन वाली तस्वीरें लेने में सक्षम है।
- इसे विभिन्न क्षेत्रों में परिचालन अनुप्रयोगों के लिए निरंतर और विश्वसनीय सुदूर संवेदन डेटा प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया था।
- इसमें एक सिंथेटिक अपर्चर रडार (SAR) पेलोड लगा था जो सभी मौसमों में विभिन्न पृथ्वी अवलोकन अनुप्रयोगों के लिए तस्वीरें प्रदान करने में सक्षम था।

क्या आप जानते हैं?

- सूर्य-समकालिक कक्षा (SSO):** यह एक प्रकार की ध्रुवीय कक्षा है जहाँ उपग्रह सूर्य के साथ समन्वय में रहते हैं और प्रतिदिन एक ही स्थानीय समय पर एक ही स्थान से गुजरते हैं।
 - यह निरंतर प्रकाश व्यवस्था, मौसम के मिजाज, जंगल की आग और समुद्र के स्तर में वृद्धि जैसे पर्यावरणीय परिवर्तनों की सटीक और दीर्घकालिक निगरानी को सक्षम बनाती है।
- ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान (PSLV)** भारत का तीसरी पीढ़ी का और द्रव अवस्था वाला प्रथम प्रक्षेपण यान है।
 - PSLV ने विभिन्न उपग्रहों को लगातार निम्न पृथ्वी कक्षाओं में पहुँचाकर 'इसरो का सर्वोत्कृष्ट उपकरण' का खिताब अर्जित किया है।
 - यह 600 किलोमीटर ऊँचाई की सूर्य-समकालिक ध्रुवीय कक्षाओं में 1,750 किलोग्राम तक का पेलोड ले जा सकता है।
 - उल्लेखनीय है कि इसने चंद्रयान-1 (2008) और मंगल ऑर्बिटर मिशन (2013) का प्रक्षेपण किया था।

Source :TH

मानव द्वारा बाह्य ग्रह अन्वेषण(HOPE)

संदर्भ

- चंद्रमा और संभवतः मंगल ग्रह पर भविष्य के मानवयुक्त मिशनों की तैयारी के लिए, बेंगलुरु स्थित अंतरिक्ष विज्ञान संगठन प्रोटोप्लेनेट ने लद्दाख के त्सो कार में ह्यूमन आउटर प्लैनेट एक्सप्लोरेशन (HOPE) पहल शुरू की है।

HOPE के बारे में

- यह एक उच्च-ऊँचाई वाला अनुसंधान केंद्र है जिसे पृथ्वी पर गहरे अंतरिक्ष वातावरण का अनुकरण करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- चयनित चालक दल के सदस्य मानव अनुकूलनशीलता और लचीलेपन का परीक्षण करने के लिए 10-दिवसीय एकांत मिशन पर जाएंगे।
- इस मिशन में लंबी अवधि की अंतरिक्ष यात्रा में सहायता के लिए शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और एपिजेनेटिक अध्ययन शामिल हैं।
- त्सो कार का ठंडा रेगिस्तान और उच्च-ऊँचाई की स्थितियाँ चंद्रमा एवं मंगल ग्रह के वातावरण से काफी मिलती-जुलती हैं। इस स्थान पर स्थापना से पहले लगभग नौ वर्षों तक शोध किया गया था।

क्या आप जानते हैं?

- HOPE की तरह, मार्स डेजर्ट स्टेशन (संयुक्त राज्य अमेरिका), कनाडा में फ्लैशलाइन मार्स आर्कटिक रिसर्च स्टेशन और रूस में BIOS-3 जैसे अनुसंधान केंद्र भी हैं, जो उन चुनौतियों का अनुकरण करने का प्रयास करते हैं जिनका सामना अंतरिक्ष यात्रियों को विदेशी दुनिया के साथ अनुकूलन करते समय करना पड़ सकता है।

Source: [TH](#)

राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार

संदर्भ

- 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा की गई।

- सर्वश्रेष्ठ पुरुष अभिनेता का पुरस्कार शाहरुख खान को “जवान” और विक्रान्त मैसी को “द ट्वेंटीथ फेल” के लिए संयुक्त रूप से दिया गया।
- “द ट्वेंटीथ फेल” को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार मिला।
- रानी मुखर्जी को “मिसेज़ चटर्जी वर्सेस नॉर्वे” में उनकी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ महिला अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया।

राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार

- राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की स्थापना 1954 में भारत में सिनेमाई उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए की गई थी।
- ये पुरस्कार सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष फिल्म निर्माण में उत्कृष्टता का जश्न मनाने के लिए प्रदान किए जाते हैं।
- ये पुरस्कार विभिन्न भाषाओं और शैलियों में सर्वश्रेष्ठ फिल्मों, प्रदर्शनों एवं तकनीकी उपलब्धियों को मान्यता देते हैं।
- पात्रता:** विगत वर्ष की 1 जनवरी से 31 दिसंबर के बीच केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा प्रमाणित फिल्में पात्र हैं।
- इन पुरस्कारों की घोषणा फिल्म समारोह निदेशालय द्वारा नियुक्त एक जूरी द्वारा की जाती है और इन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाता है।
- सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का प्रथम पुरस्कार क्रमशः उत्तम कुमार और नरगिस को 1968 में दिया गया था।
- सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार शुरू में ‘उर्वशी’ और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार ‘भारत’ कहलाता था।

Source: [PIB](#)

पातालपानी-कालाकुंड लाइन

संदर्भ

- पश्चिमरेलवे ने मध्य प्रदेश में 155 वर्ष प्राचीन पातालपानी-कालाकुंड लाइन पर 9.5 किलोमीटर मीटर-गेज हेरिटेज ट्रेन का परिचालन फिर से शुरू कर दिया है।

- ▲ पर्यटकों की कम संख्या के कारण कुछ समय के लिए इसे स्थगित कर दिया गया था।

लाइन के बारे में

- डॉ. अंबेडकर नगर (महू)-खंडवा खंड पर स्थित, पातालपानी-कालाकुंड लाइन मध्य प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों के मध्य में स्थित है।
- **इतिहास:** महाराजा तुकोजी राव होल्कर द्वितीय, जिन्होंने 1844 से 1886 तक शासन किया, ने इंदौर से खंडवा तक एक रेलवे लाइन के निर्माण का प्रस्ताव रखा, जिसमें पातालपानी-कालाकुंड खंड भी शामिल था।
 - ▲ यह परियोजना 1878 में पूरी हुई और इसे होल्कर स्टेट रेलवे कहा गया, जिसका 1881-82 में राजपूताना-मालवा रेलवे में विलय कर दिया गया।

Source: [IE](#)

■■■■

